Historicity Research Journal
Volume 2 | Issue 4 | Dec 2015

Impact Factor : 0.4521(UIF)
ISSN:- 2393-8900

Research Article

महिलाओं की स्थितियोंमें सुधार एंवम् विकास

रमेश धोंडिराम राठोड

समाजशास्त्र विभागप्रमुख, वैद्यनाथ कालेज,परली वैजनाथ, जि. बीड. महाराष्ट्र.

सारांश :

भारतीय समाज व्यवस्था के इतिहास में महिलाओं की स्थिति एक लम्बे समय से विवाद का विषय रही है। प्राचिन भारतीय समाज में महिला का दर्जा बहुत ऊचा था।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थितिः वेदयुगीन महिला समाज में पुज्य मानी जाती थी। वैदिक समाज भारतीय इतिहास का सर्वाधिक आदर्श समाज रहा है। जिसमें महिलाओं ने समस्त अधिकारों का पूर्णता के साथ उपयोग किया था।

प्रस्तावना:

उत्तर वैदिक काल में की महिलाओं स्थितिः ईसा के ६०० वर्ष पूर्व से ईसा ३०० वर्ष बाद का काल उत्तर वैदिक काल कहलाता है। इस युग में पुत्री की अपेक्षा पुत्रागमन अधिक मांगलिक एवं आनन्ददायक माना जाता था,फिर भी पुत्री का स्थान सन्मानजनक था। महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने का पुरा अधिकार था।

धर्मशास्त्र काल में महिलाओं की स्थितिः तीसरीशताब्दी से लेकर ११वीशताब्दी के पुर्वार्द्ध तक से है। तीसरी शताब्दी के बाद याज्ञपल्क्य संहिता, विष्णु संहिता और पाराशर संहिता की रचना हुई, जिनमें वेंदों के नियमों को पूर्णतया तिलांजली देकर मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी मान लिया गया। यह काल समाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था। महिलाएँ भी इस संकीर्ण विचारधारा का शिकार बनी।

इस काल में महिलाएँ 'गृहलक्ष्मी'से 'याचिका' के रूप में दिखाई देने लगी। 'माता' के रूप में सम्मानित होने वाली महिला का स्थान 'सेविका' ने ले लिया। जीवन और शक्तिप्रदायिनी देवी अब निर्बलताओं की प्रतीक बन गयी। "महिला,जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के व्दारा साहित्य और समाज के आदर्शो को प्रभावित कारती थी, अब परतन्त्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी।" इस युग में यह विश्वास दिलाया गया कि पति ही महिला के लिए देवता है और विवाह ही उसके जीवन का एकमात्र संस्कार है। मनुस्मृति में यहाँ तक कह दिया गया कि महिला कैसे कभी भी स्वतन्त्र रहने योग्य नही है। इस युग में महिलाओं से उनके सम्पत्ति के अधिकार भी छीन लिये गये थे। इस युग में महिलाओं को मानिसक रूप से कमजोर समझा जाता था। उस समय बाल-विवाह का प्रचलन था। जीवन साथी चुनाव की स्वतन्त्रता भी नहीं रही।

इस युग में विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लगा दी गई। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इस युग में महिलाओं की स्थिति बहूत ही निम्न स्थिति में पहूँच गई थी।

मध्यकाल में महिलाओं की स्थितिः मुगल शासकों का काल मध्यकाल कहलाता है। भारत में ११ वी शताब्दी से मुगलों का प्रभाव बढने लगा था। इस समय हिन्दू धर्म व संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबन्ध लगा दिए जिसमें महिलाओं की स्थिति में और अधिक गिरावट आई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल-विवाह, इस प्रथा को धार्मिक आवरण प्रदान कर बढावा दिया गया। सतियों की पूजा की जाने लगी। पहली पत्नी के होते हुए भी विवाह कर लेना, एक से अधिक पत्नियाँ रखना पुरूषों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा बन गयी।

इस प्रकार महिलाएँ अपनी अस्तित्व के लिए पूर्णतया पुरूषों पर निर्भर हो गयी।

ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थितिः १८ वींशताब्दी के अन्तिम वर्षो से स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व का समय ब्रिटिश कहलाता है। इस काल में महिलाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों द्वारा समाज सुधार के अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन सरकार की ओर से महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के कोई व्यावहारिक प्रयत्न नहीं किए गए। अपने हितों को पूरा करने के लिए महिलाओं का शोषित बने रहना अंग्रेजों के लिए भी लाभप्रद था। अंग्रजो ने अपने शासन काल में भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक कार्यो में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं की दशा सुधारने के निम्नलिखित प्रयास किये गये।

१.सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने, अधिकारो की माँग करने और व्यवहार के नियमो में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था।
२.परिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के समस्त अधिकार समाप्त हो गए । परिवारमें महिला का एकमात्र कार्य बच्चो को जन्म देना और पति के सभी सम्बन्धियों की सेवा करना रह गया। परिवार में दहेज की मात्रा, सदस्यों की सेवा और धार्मिक कार्यो को लेकर महिला का शोषण एक सामान्य सी बात हो गयी।
३.आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की निर्योग्यताएँ सबसे अधिक थी। उन्हें संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में ही हिस्सा प्राप्त करने से वंचित नहीं रखा गया बल्कि महिलाओं को अपने पिता की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं था।
४.राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं द्वारा हिस्सा लेने का कोई प्रश्न ही उठता था। महिलाओं को केवल चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था । वे केवल घर की चारदीवारी के भीतर ही काम कार्य कर सकती थी। इस काल में महिलाओं को पति की शिक्षा और सम्पती के आधार पर बहूत थोडी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया । परन्तु भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में महिलाओं नें पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर भाग लिया। इसलिए कई भारतीय महिलाएँ स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने के कारण अमर हो गई। इनमें से प्रमुख है- कस्तूरबा गाँधी, कमला देवी नेहरू, विजया लक्ष्मी पण्डित, सरोजनी नायडू तथा अरूणा असफ अली आदि।

महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में चार पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

१.उत्पादन २. प्रजनन ३. लैंगिकता ४. बच्चोंका सामाजिकरण

भारत के संदर्भ में मार्क्सवादी और समावादीयों ने उत्पादन पर जरूरत से ज्यादा बल दिया है। भारतीय संदर्भ में इन चारों पहलुओं में पुरूषों का प्राधान्य है। परिवार में महिला अपने सास-श्वसूर यहाँ तक कि अपने पति द्वारा दलित की तरह समझी जाती है । महिलाओं की स्थिति ग्रहण लगने वाली स्थिति है। यह बात उन सब जातियों और वर्गो के परिवारों की महिलाओं के बारे में सही है। जिन पर आज सामन्तवाद का प्रभाव है या जिनकी जीवन प्रणाली और मूल्य सामन्ती है। गांवो में नव-धनाढ्य लोगों ने महिलाओपर उच्च शिक्षा ग्रहण करने, प्रवसन और नौकरी करने पर प्रतिबन्ध लगा रखे है। सही बात तो यह है कि पुरूषों और उनके द्वारा निर्मित वातावरण ने महिलाओं को पराधीन बना दिया है। महिलाओं की पुरूषों के साथ समता की खोज को समझने की दृष्टि से हमने पुराने महिला संघटनों की भूमिका, विधान, सामाजिक आन्दोलन और महिला-पुरूष सम्बधों का विश्लेषण इस प्रकार किया है।

समानता की खोजः

महिला द्वारा पुरूष के साथ समानता की खोज एक सार्वभौमिक तथ्य बन चुकी है। इस मांग के कारण महिला आन्दोलनों , नारीवर्गीय कार्यक्रमों और संगठनों का जन्म हुआ है। नारीवाद की उत्पत्ति सम्पुर्ण संसार में सामाजिक संरचना के रूप में हुई है। पुरूष और महिला में असमानताएँ और महिलाओं के प्रति भेदभाव आदि की कठिनाईया सदियो से चली आ रही समस्याएँ है। बहूत लम्बे समय तक महिलाएँ घरो की चारदिवारी के भीतर रही है। पुरूष पर वे पूर्ण रूप से निर्भर रही है। धिरे-धिरे शिक्षीत महिलाओं ने घर से बाहर रोजगार करने की आवश्यकता महसूस की है। घर के भीतर भी महिलाओं ने पुरूषो के साथ समानता की माँग की है। जो वस्तूऍं पुरूषों को प्राप्त होती है उनकी मांग महिलाओं ने भी की है। पुरूषों के साथ महिलाओंकी समानता प्राप्त करने की मांग पुरूषों के निरंकुश आधिपत्य की अवधारण का द्योतक है।

आज महिलाओं के लिए पुरूषो के समान प्रस्थिति और समाज के सब सदस्यों के समान सन्मानित जीवन प्राप्त करने के लिए महिला संघटनों महिला समाजिक कार्यकर्ताओं और राजनितीज्ञों ने कीमत-वृध्दी, दहेज,बलात्कार और शोषण आदी मुद्दों को उठाया है। महिला संघटनोंने विशेषकर शहरी क्षेत्रों में यौन-समानता

के लिए चेतना की भावना उत्पन्न की है।

महिलाओं की इन बडी समस्याओं के परिणामस्वरूप अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस, अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्षे, महिलोंओं के बारेमें सभाएँ और गोष्टीयॉ और महिला अध्ययन हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापीत किया गया है। इन संघटनों और समितीयोंने भारत के संविधान में प्रावधान के बारे में प्रचार किया है। भारत सरकार ने १९७१ में महिलाओं की प्रस्थिति के बारे में एक समिती नियुक्ती की थी। समितीने १९७४ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट मे सर्वत्र स्वागत किया गया। महिलाओं के अध्ययन का एक अखिल भारतीय संगठण है। विभिन्न शहरोंमे बलात्कार, दहेज-मृत्यू, और स्त्री-हत्या के विरूध्द प्रदर्शन, जलुम और हरताल एक आम बात बनगई है। सभी वर्गो में दहेज एक प्रकारसे लडके का मोल-तोल करने का रिवाज बन चुका है। दहेज-मृत्यू, हत्या और धन खसोटने के कारण लडकियों मे माता पिता और स्वंय लडकियों को बेइज्जती और अमावनीय व्यवहार सहन करना पडता है।

पुरूष–महिला संबंधः

एक पुरूष की अपेक्षा एक महिला के लिए सामाजिक अनुपालन अधिक आवश्यक है। सामान्यतः एक महिला की पहचान स्वंय और अन्य लोंगों के व्दारा पुरूषों के एक पुत्री, एक पत्नी और एक मॉ के रूप में की जाती है। १९ वीशताब्दी में युरोप में महिलाओं मे यह बात सत्य थी। आज चीन में महिलाओं कों लगभग पुरूषों के समान स्थान है।

महिलाओं के पुरूष और सामाजिक संरचना के साथ बन्धन को पुंजीवाद का लक्षण माना गया है। ऐसे बन्धनों से महिलाओं की मुक्ति को समाजवाद की विशेषता कहा जाता है। आधुनिक भारत में महिलाओं की दुर्दशा समझने के लिए उनको शिक्षित-अशिक्षित, धनी-निर्धन और ग्रामीण बनाम शहरी वर्ग में बॉटने से उपर्युक्त समज नही मिलेंगी। वास्तव में महिलाओं को पुरूषों से अलग रखकर समझा नही जा सकता। केवल परिवार ही महिलाओं को गुलाम बनाने वाली संख्या नही है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें महिलाओं के साथ अनुदार रूप में व्यवहार किया गया है।

आज महिलाओं के अध्ययनों में महिलाओं की स्थिति, उनेक निराकरण, सामाजिक प्रथाओं में महिलाओं की भूमिका, समुदाय और परम्परा पर बल नही है। महिला शिक्षा, आर्थिक और कानुनी प्रस्थिति और राजनैतिक भागिदारी और अध्ययनों पर अधिल बल दिया जाने लगा है। मनोवृत्तियों, भूमिकाओं और परिस्थितियों के बजाय अब महिलाओं के आधुनिकिकरण के कारणों, कार्य सहभागिता, अन्दोलनों में महिलाओं से संम्बधित प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे है। आयु और यौन केवल मात्र जैविक प्रघटनाएँ नही है। वे सामाजिक और सांस्कृतिक चरक भी है। कुछ समाजोमें इन्हें पुरस्कारों और विशेषाधिकारों के वितरण का आधार माना जाता हे।

व्यक्ति के रूप में महिलाओं की पहचानः

पारिवारीक स्तर पर महिला की पहचान उनकी भूमिका से परिभाषित की जाती है। उनकी पहचान एक पुत्री, पुत्र-वधू, माता-सास, पत्नी आदि के रूप में की जाती है कि एक व्यक्ति के रूप में। परिवार के बाहर मित्र, सम्बधी और अन्य स्वतंत्र सम्पर्क नही है। वही है जो परिवार के पुरूष सदस्यों के माध्यम से उसे मिले है। इस सम्बधों के लिए उसकी स्वतंत्र पसन्द का कोई प्रश्न ही नही है।

संविधान मे समानता और धर्म, प्रजाती, जाती और यौन पर आधारित भेद-भाव के विरूध्द जो भी कहा गया है उसके अतिरिक्त भारत सरकारने स्वतन्त्रता के बाद विवाह, सम्पत्ति, के उत्तराधिकार, तलाक, दहेज और बलात्कार आदि में अनेक कानून पारित किए है। भारत में सामाजिक विधान अधिक प्रभावशाली सिध्द हुए है। बलात्कार की घटनाएँ निरन्तर हो रही है। दहेज उत्पीडन और यातनाएँ घर-बहू को जलाना और यातनाके कारण आत्महत्याएँ निरन्तर हो रही है।

यह स्वीकार किया जाता है कि महिलाएँ पुरूषों से किसी तरीके से कमजोर नही है। भारत के विकास में महिलाओं का बहुत योगदान है। ब्रिटिश राज के विरूध्द स्वतन्त्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। भारत के इतिहास में उस कठिन समय में उन्होंने बहुत सामाजिक कार्य किया। राष्ट्रिय हित में महिलाओं के अत्याधिक योगदान के बावजूद उनकाशोषण किया जाता है। महिलाओं का शोषण इसलिय होता है कि वे प्रायः असंघटीत क्षेत्रों में कार्य करती हैं। तकनीक विकास का महिलाओंपर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। परिवार के संसाधनों और अपने रोजगार के अन्य भागोपर उनका अब नियन्त्रन कम है। कृषी, दुग्धशाला विकास, मछली पालन, और घरेलू प्रौद्योगिक के क्षेत्रोंमे प्रगती के परिणामस्वरूप महिलाओं की सामान्यप्रस्थिति और आर्थिक हीनता में कमी आई है।

समाज सुधार आन्दोलनः

भारतीय समाज व्यवस्थाके इतिहास में महिलाओं की स्थिति एक लम्बे समय से विवाद का विषय रही है। वैदिक काल की महिलाओं की उन्नत अवस्थ से लेकर निरन्तर होता जा रहा पतन जब स्वार्थ, अन्याय और शोषण की पराकाष्ठा पर पहुँच गया तब उनके विरूध्द आवाज उठाना भी स्वाभाविक है। १६ वीं शताब्दीं के प्रारंभ से ही भारतीय समाज में परिवर्तन की दिशा का दौर सुरू हुआ। महिलाओं के प्रश्न से जुडे अनेक प्रभुत्व सम्पन्न व चिन्तनशील लोग महिलओंकी निम्न स्थिति से चिंतीत रहने लगे एवं उन्होने उसें उँचा उठाने मे विशेष प्रयास किया, इस प्रयास में ब्रिटिश सरकार का भी बहूत बडा हाथ था। १८१३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी को ब्रिटीश पार्लियामेन्ट ने यह आदेश दिया था कि वह भारत के सभी वर्गो में शिक्षा का पर्याप्त प्रसार करें, बलकी यह कम्पनीने इस दिशा में कोई प्रयास नही किये। भारतीय समाज सुधारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसमें-

सवित्रीबाई फुलेः

सवित्रीबाई फुले देश की पहिली महिला अध्यापिका व नारी आन्दोलन की पहली नेता। जिन्होंने उन्नीसवी सदी में छुआ-छूत, सतीप्रथा, बालविवाह, तथा विधवा विवाह निषेध आदि कुरीतियों के विरूध्द अपने पती के साथ मिलकर काम किया। सावित्रीबाई फुले ना केवल भारत की पहिली अध्यापिका थी वे सम्पूर्ण समाज के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्त्रोत,प्रख्यात समाज सुधारक, जागरूक और विचारशील चिंतक, भारत के स्त्री आन्दोलन की अगुआभी थी।

सवित्रीबाई फुले ने हजारो साल से शिक्षा से वंचित कर दिए शुद्र अतिशुद्र समाज और स्त्रियों के लिए बंद कर दिए दरवाजे बहुत प्रयास के सात खोल दिये। उन्होंने १८४८ में पहला स्कूल पुणे महाराष्ट्र में खोला । इतनाही नही भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिये उन्होंने १८५२ में महिला मंडल का गठन कर महिला आन्दोलन की प्रथम अगुवा भी बन गई।

राजा राममोहन रॉयः

राजा राममोहन रॉय इन्होने सर्वप्रथम महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया। १८२८ में उन्होंने ब्राह्मसमाज की स्थापना की एवं इस समाजने सबसे पहिले समाज मे रही अनिष्ठ प्रथा सती-प्रथा के विरूध्द आन्दोलन किया एवं उसी के परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार को १८२९ में सती-प्रथा के विरूध्द कानून बनाकर इसे रोकना पडा। इसी के साथ बाल विवाह के विरूध्द व महिला-शिक्षा के प्रसार के पक्षमें भी आन्दोलन प्रारंभ किया था। विधवा पुनर्विवाह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है, स्मृति में भी दबावपूर्ण वैधव्य की अनुमती नही है। जब सती-प्रथा जैसे अमानवीय रिवाज के विरूध्द कानून बना तो राजा राममोहन राय पूर्णतः पुरी शक्ति के साथ सरकार के साथ रहे और उन्हीके प्रयन्नोसे सती प्रथा की समाप्ती हुई।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागरः

राजा राममोहन राय व्दारा शुरू किए गए महिला सम्बधी कार्यो के विद्यासागर अनुगामी थे। विधवा समस्या से सम्बधीत कार्य को उन्होने आगे बढाया। इन्होने किये कार्योका तत्काल कोई परिणाम दिखाई नही पडता। जनता में उनके कार्ये से कितनी जागृती पैदा हुई तथा भावी कार्येकर्ताओं ने कार्य को कितना आगे बढाया वही कसौटी किसी कार्य के मुल्यॉकन के निमित्य उपयोग मे लाई जासकती है।

विद्यासागर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सक्रिय थे। महिला शिक्षा का बढता हुआ प्रचार उसका स्पष्टतः प्रमाण था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातिका चंद्रमुखी बसू बैथ्युन महाविद्यालय की छात्रा थी। विधवा-विवाह के समर्थन में दिए गए आवेदन पत्र पर २१,००० हस्ताक्षर करवाए गए थे। उन्होंने जब प्रथम विधवा पुर्नविवाह करवाया तब उनके अनके मित्रों ने विवाह प्रसंग पर उपस्थित होकर उसका समर्थन किया था। सन १८६१ में 'संजिवनी' नामक मासिक पत्रिका में एक से अधिक विवाह करने वाले पुरूषों की सूची प्रकाशीत की थी और महिलाओं की समस्याओं में विद्यासागर का योगदान अमूल्य था।

महादेव गोविंद रानडेः

समाज सुधार तथा महिलाओं की प्रगती के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। काल में 'युवा बंगाल' आंदोलन अंग्रेजी राज्य का अंधानुकरण कर रहा था। किन्तू रानडे न तो पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण के ही पक्ष में थे और न, ही पक्षपाती थे। उन्होंने इन दोंनो प्रवाहो का समन्वय करके नई दृष्टि प्रदान की। उनकी सोच

यह थी की समाजमें सुधार लाना है तो और उस में गतिशीलता लानी हो तो राष्ट्रव्यापी संघटन की आश्यकता होगी। इसी प्रकार का संगठन देश मे बिखरी हुई सामाजिक सुधार की गतिविधीयों का एक धागे में पिरो सकेगा। सामाजिक समस्योओं का हल निकालने का जो प्रयत्न था उन्होंने राष्ट्रव्यापी बनाने का प्रयास किया।

महर्षि धोंडो केशव कर्वे:

विधवा महिला की और तत्कालीन समाज की तिरस्कारपूर्ण दृष्टी में परिवर्तन लाने का श्रेय श्री कर्वे को ही देना चाहिए । तत्कालीन समाज में बडे-बडे नगरों मे पुनर्विवाह का समर्थन सामाजिक पाप माना जाता था। लेकीन आज छोटे छोटे गॉव में भी दण्ड के भय से मुक्त वातावरण में विधवा-पुनर्विवाह का प्रचार किया जाता है। अगर अज्ञान दूर करता होतो शिक्षा देना जरूरी है। यह सामाजिक परिवर्तन लाने में कर्वे का योगदान अमुल्य है।

स्वामी विवेकानंद:

पुनरूद्धारवादियों में स्वामी विवेकानन्द का स्थान विशिष्ट है। स्वामी विवेकानन्द की दृष्टि में भारत में मुख्य दो बुराइयॉ थी - एक महिलाओं का भारतीय समाज में पराधीन स्थान तथा दुसरी हिन्दू समाज में असमानता को जन्म देने वाली तथा लोकतंत्र के सिद्वांतों की अवहेलना करने वाली जाति-व्यवस्था। महिला उध्दार के बारेमें स्वामी विवेकान्द के योगदान का मुल्यॉकन करते समय हमारा ध्यान विवेकान्द के महिला के प्रति आदर भावना को पुनःस्थापित करने के प्रयास की और सहज ही जाता है। समग्र राष्ट्र को ही नही वरना विश्व के उत्थान् में शिक्षित भारतीय महिला अपना निश्चित योगदान दे सकेगी, ऐसी दृढ मान्यता थी।

स्वामी दयानन्द सरस्वती:

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने निजी प्रयासों से तथा मुख्यतः आर्य समाज की विविध संस्थाओं के माध्यम से महिला -शिक्षा का प्रचार किया तथा विवाह न्युनतम आयु बढ़वाने का प्रयास किया। आर्य समाजद्वारा महिला स्वातंत्र्य की मॉग का आधार, समानता नही वरन् वेदकालीन समाज में व्याप्त स्वतंत्रता वर्तमान महिला को मिलनी चाहिए थी। उनका प्रयास सीमित होते हुए भी महिलाओं की उत्थान गाथा में दयानन्द सरस्वती का नाम आरद से स्मरण किया जाएगा।

महिला समानता के लिए संविधान:

भारतीय संविधान मे महिलाओं को पुरूषों के बराबर समान धरातल पर रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना, मौलीक अधिकार एवं निती निर्देशक तत्वों में उनको बराकरी का दर्जा देने तथा उनके विकास के लिए महत्त्वपूर्ण प्रावधान बनाए गए है।

१.विधिके समक्ष समता- (अनुच्छेद १४)
२.धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अन्त- (अनुच्छेद १५)
३.लोकनियोजन के विषय में अवसर की समता- (अनुच्छेद १६)
४.मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध- (अनुच्छेद २३)
५.राज्य द्वारा अनुसरणीय कुल निति-निर्देशक तत्व- (अनुच्छेद ३९)
६.समाज न्याय और विविध सहायता- (अनुच्छेद ३९क)
७.काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध- (अनुच्छेद ४२)
८.धर्म,मूल,वंश जाति या लिंग अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी भी व्याक्ति को निर्वाचक नामावलि में सम्मिलित करने से मना न करना- (अनुच्छेद ३२५)

निष्कर्ष:

१.समाजिक प्रथाए जैसे पर्दा प्रथा,सती प्रथा,विधवाओं की समस्या, पुनर्विवाह की समस्याएँ दहेज जैसी प्रथाओं में कम अधिक मात्रामें सुधार आया है।
२.महिलाओं प्रति पारंपारिक सोच मे बदलाव आया।
३.महिलाओं की शिक्षा को बढावा दिया।
४.प्रचलित कुरीतियों और अंधविश्वासो का पुरजोर खण्डण किया।

५.महिलाओं की सामाजिक जागरूकता में काफी वृद्रि हुई है।
६.महिलाओं की स्थिति में सुधार नजर आने लगा है।

संदर्भ ग्रन्थः

१. हमारा संविधान- भारत का संविधान और संवैधानिक विधी - सुभाष काश्यप, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.
२. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र- डॉ.एम.एम.लवानिया, रिसर्च पब्लिशर्स,जयपूर.
३. मानवाधिकार और महिलाएँ- डॉ राजबाला सिंह,अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रब्यूटर्स, जयपूर.
४. महिलाए और मानवाधिकार- सरोज परमार, पोइन्टर पब्लिशर्स,जयपूर.
५. स्त्रिया की स्थिति- चद्रावती लखनपाल.
६. मनुस्मृती.